

सेवा में,

महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक-24/08/2026

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा - आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत कार्यरत प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के मार्च 2025 सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया मानदेय भुगतान हेतु कुल 10,00,000 /- (दस लाख) रुपये मात्र की राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था, व्यवहारिक ज्ञान के समान अवसर प्रदान करने, कम्प्यूटर एवं भाषा सक्षमता आदि की व्यवस्था कायम करने, विद्यार्थियों की उपस्थिति में लगातार इजाफा, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एक सुन्दर शैक्षणिक वातावरण बनाने हेतु अनुश्रवण की व्यवस्था के तहत प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड प्रबंधन इकाई के अंतर्गत प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक का गठन किया गया था। उक्त के आलोक में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 10,00,000 /- (दस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न बजटीय शीर्ष के आधार पर किया जायेगा-

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-001-निर्देशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-0010- प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू), विपत्र कोड-21-2202020010010 विषय शीर्ष-0010.28.04-व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ के अंतर्गत किया जाएगा।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त विपत्र कोड के संबंधित विषय शीर्ष में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से 10,00,000 /- (दस लाख) रुपये मात्र अतिरिक्त राशि का उपबंध किया गया है।

4 राशि का आवंटन जिलों से प्राप्त मांग पत्रों के आलोक में की जायेगी।

5 प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक का मानदेय (सभी कर/देयता सहित) 30,000 /- (तीस हजार) रुपये मात्र प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

6 CFMS द्वारा जिलावार आवंटित राशि की निकासी सम्बन्धित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी हेतु मानव बल उपलब्ध करा रहे सम्बन्धित एजेंसी के बैंक खाते को CFMS में Payee I'D में जुड़वा लेंगे तत्पश्चात् उपलब्ध कराये गये सेवा के विरुद्ध प्राप्त Tax Invoice के आधार पर सेवा प्रदाता को CFMS से जुड़े Payee I'D के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

7 अभिश्रव में भारित GST का नियमानुसार भुगतान सरकार को करने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी तथा निर्धारित समयावधि में इसे जमा किये जाने का साक्ष्य विभाग को एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3

8 संबंधित राशि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के बकाया मानदेय भुगतान हेतु किया जायेगा।

9 राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय एवं किसी भी परिस्थिति में संबंधित मद के अलावे अन्य मद में न किया जाय।

10 राशि का व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं०-2561, दिनांक-17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

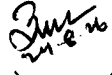
11 संचिका संख्या ब०आ०-1460/4/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-323947) के नोट संख्या-196/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12 संचिका संख्या ब०आ०-1460/4/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-323947) के नोट संख्या-212/टि० प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-ब०आ०-1460/4/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-323947)...91.पटना, दिनांक-24/08/2026

प्रतिलिपि :-संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्रशासन/उपनिदेशक, प्रशासन-सह-बजट पदाधिकारी/बजट शाखा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर /संबंधित सभी एजेंसी/ आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

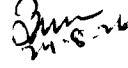

सरकार के उप सचिव



वित्तीय वर्ष 2026-27

प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबंधक के वित्तीय वर्ष 2024-25
सहित बकाया राशि के मानदेय भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी
(21-2202-02-001-0010) 28.04

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	पूर्णिया	₹ 2,04,936
2	भागलपुर	₹ 5,07,064
3	मुंगेर	₹ 2,88,000
कुल योग:-		₹ 10,00,000


सरकार के उप सचिव

